न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प संभाग सागर

सुरेश तनय राजाराम ब्रम्हण ,

निबासी ग्राम घटरा , तहसील गौरिहार , जिला छतरपुर ,

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/6075

.................आवेदक

वनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर,

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी **न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर द्वारा प्र0क0 314/स्व0 प्ररण निगरानी/2004–05 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23/09/2017** से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है, तथा माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक के नाम तहसीलदार महोदय गौरिहार, जिला छतरपुर द्वारा अपने प्र0 क0 825/ब121/2002–.3 में पारित आदेश दिनांक 29/07/2003 के द्वारा ग्राम घटरा, स्थित भूमि खसरा नंबर 1281, 1252/2, 1270 रकवा कमाशः 0.283, 0.100, 0.089 हैक्टैयर भूमि का ब्यवस्थापन किया गया था। जिसके विरूद्व करीब 03 साल उपरांत स्वप्रेरण में निगरानी दर्ज करके करीब 17 साल उपरांत उपरोक्त ब्यवस्थापन अधिनस्थ न्याालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार

1– यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व इस बात को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया है कि, वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का 02 अक्टॅवर 1984 के पूर्व से दो फसली कब्जा चला आ रहा है। जिसे उसने काफी श्रम एवं लागत लगाकर उपजाउ बना लिया है। वादग्रस्त भूमि आवेदक

न्यायालय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 6075

सुरेश विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 314 / स्व.निग. / 2004—05 में पारित आदेश दिनांक 23—09—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11—09—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	